राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती–2018)/2020/ दिनांक :–

–::आदेश::–

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020 एवं 437 दिनांक 28.04.2020 को जारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के नियुक्ति आदेश की बिन्दु संख्या 18 "जारी सूची में से एन.एच.एम. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), 108 एम्बूलेन्स सेवाऐं, एम.एम.यू–एम.एम.वी, पी.पी.पी. मोड, यू.टी.बी. आदि संविदा पर वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी Covid-19 पॅन्डेमिक परिस्थिति के नियंत्रण में आने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यरत रहेंगें एवं इन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा तथा अग्रिम आदेशों के उपरान्त ही नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगें" के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में जिन अभ्यर्थियों को उक्त आदेशों की पालना में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराया गया था, इनमें से वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय संस्थानों में कार्यरत सभी अभ्यर्थियों को इनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही 07 दिवस में कार्यग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती–2018)/2020 675 दिनांक :– 05/08/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (जन स्वा0/प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
7. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक ।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
9. संबंधित समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन वर्तमान में कार्यरत समस्त संविदाकर्मियों को आपके अधीन ही कार्यग्रहण कराया जाना है किन्तु इस हेतु इन्हें इनके वर्तमान कार्यस्थल से अन्यत्र पदस्थापित नही किया जावेंगा, सभी संविदा कर्मियों के अनुबंध के अनुसार अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जावें।
   - निदेशालय के आदेश दिनांक 28.04.2020 में संलग्न सूची में से केवल उन अभ्यार्थियों को जिनके नियुक्ति आदेशों को प्रत्याहरित/निरस्त/स्थगित/विलोपित नही किया गया है को ही कार्यग्रहण कराया जाना है इस बाबत जारी किये गये विभिन्न आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। आदेश दिनांक 28.04.2020 में उल्लेखित शेष शर्तो एवं दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावें।
10. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर